एन पी सी सी
NPCC
PROJECT EXCELLENCE SINCE 1957

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office Dehradun

पत्रांक संख्या: UKO/PMGSY/DUGADDA/263 **दिनांक: 24.01.2023**

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिज़र्व, उत्तराखंड
देहरादून

विषय: पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नौड़खाल-माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई- 12.050 कि०मी०) के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: 65/12-1/ देहरादून, दिनांक: 08.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की प्रेषित की गयी आख्या को नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरांत बिंदुवार कमियाँ इंकित की गयी है, जिसका निराकरण निम्नवत है -

1. **बिंदु संख्या 1 के अनुसार,** उक्त मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 25.02.2021 को स्वीकृत हुई थी । जिसके सापेक्ष एन०पी०वी० की कुल देय धनराशि: 4.702 है० x 4,38,000 x 10 = 2,05,94,760.00 जमा कराई गई थी । आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फाइल संख्या: 5-3/2021-FC(Vol-I) दिनांक: 22.03.2022 (सलंग्न) के अनुसार, बिंदु B में साफ़ तरीके से बताया गया है कि प्रपोजल जिनकी सैद्धांतिक स्वीकृति के पांच वर्ष पूर्ण होने के पक्षात ही यह नई NPV की धनराशि लागू होगी (जिन प्रपोजल का स्टेज-२ का क्लीयरेंस नहीं हुआ है) । क्योंकि हमारे मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 25.02.2021 को हुई थी तथा अभी तक स्वीकृति के पांच वर्ष पूर्ण नहीं हुए है इसलिए नई NPV की धनराशि हमारे प्रपोजल पर लागू नहीं होगी ।
2. **बिंदु संख्या 4 के अनुसार,** प्रस्ताव में स्वीकृत संरेखण में ही वृक्षों का पाटन एवं स्वीकृत संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलंग्न है ।
3. **बिंदु संख्या 5 के अनुसार,** उक्त के अतरिक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (प्रश्न उत्तर में कालमवार) बिंदुवार सूचना आपके कार्यालय को 04 मूल प्रतियों में अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है, जो कि सलंग्न है ।

धन्यवाद्

भवदीय

joginder

पी०आई०यू०, दुगड्डा
पी०एम०जी०एस०वाई० कार्य

Project Manager
PIU, Dugadda
NPCC Limited

Corporate Office: Plot No. 148, Sector-44, Gurugram-122003, Ph: 012423-2385222,2385223, npcc.gov.in
Zonal Office: 98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Ph: 0135- 2675725 Email: npccnwz@gmail.com

विषय: पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नौड़खाल-माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई- 12.050 कि०मी०) के सम्बन्ध में ।

बिंदु संख्या 4 के अमुसार प्रमाण पत्र

प्रस्ताव में स्वीकृत संरेखण में ही वृक्षों का पाटन एवं स्वीकृत संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है ।

Joginder
Project Manager
PIU Dugadda
NPCC Limited

अधिशासी अभियंता
पी०आई०यू० दुगड्डा
पी०एम०जी०एस०वाई० कार्य

File No.5-3/2011-FC(Vol-I)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

****

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi - 110003
Dated: 21 March, 2022

To,

1. **The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest), All State Governments/UTs**
2. **The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF,All State Governments/ UTs**

Subject: Clarification regarding applicability of revised rates of Net Present Value - reg.

Madam/Sir,

I am directed to invite reference received from various State Government in the Ministry on the above mention subject. The matter has been examined in this Ministry and it is clarified that revised rates of Net Present Value will be applicable as under:

a. **New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage-I / in-principle approval after 06.01.2022.**
b. **The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage-I / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage-II/Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage-I / in-principle approval.**

This clarification is issued in suppression of earlier order no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022.

Yours sincerely,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

एन पी सी सी NPCC

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(A Govt. Of India Enterprises)

Uttarakhand Office Dehradun

पत्रांक संख्या: 447/PMGSY/2022/204 दिनांक: 07/05/2022

सेवा में,

उप निर्देशक
राजाजी टाइगर रिज़र्व,
देहरादून

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत PMGSY के नौड़खाल माला से कोटा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या: FP/UK/ROAD/41674/2019 Dated: 04.03.2021) I

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या हमारे पत्रांक संख्या: 447/PMGSY/2020/62 दिनांक: 19.05.2021 के द्वारा तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसमे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तथा प्रेषित प्रकरण आख्या की प्रति वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून को भी प्राप्त नहीं हुई है, कार्यवाही न होने के कारण मार्ग के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

मार्ग की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेंसी/ पी०आई०यू० दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल द्वारा तीन प्रतिया दोबारा से कार्यवाही हेतु प्रेषित के जा रही है ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद्

सलंग्न: तीन प्रतियाँ

[Stamp, signature] 09.05.2022

[Signature]
भवदीय
अधिशासी अभियंता
पी०आई०यू० दुगड्डा'

प्रतिलिपि:

- वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून

फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–उप निदेशक,राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,

अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 472/12-1 देहरादून, दिनांक 03-06-2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला किमी0 7 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050किमी0) के नव निर्माण हेतु 4.702 है0 (**Earlier proposed 7.465है0**) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/Road /41674/2019**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 2284 / **FP/UK/Road/41674/2019** दिनांक 04 मार्च, 2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) की पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 154 / 2020 / एफ0सी0 / 2362, दिनांक 25–02–2021 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी / पी0आई0यू0 दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र सं0 447 / PMGSY/2020/62 दिनांक 19-05-2021 के द्वारा तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। जिसे मूल में आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न – उक्तानुसार।

भवदीय

(महिपाल सिंह सिरोही)
उप निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

पत्रांक 472/दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) रा0टा0रि0।
4. वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज।

(महिपाल सिंह सिरोही)
उप निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

O/C

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिया आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	परियोजना के लिया आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:**	
3(a)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.404 हे० अवनत वन भूमि कुडोग-22, रिखनाड रेंज, चकराता वन प्रभाग, कलसी पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.404 हे० अवनत वन भूमि कुडोग-22, रिखनाड रेंज, चकराता वन प्रभाग, कलसी पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए, प्रमाण पत्र सलंग्न।
3(b)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन प्रभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति सलंग्न है वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (पत्र सलंग्न)।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृध्दि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु वन विभाग के डिमांड नोट के अनुसार धनराशि जमा करा दी गयी है (पत्र सलंग्न)।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
5(a)	इस सम्बन्ध में भारत के माननिये सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA मुनब्बर 556 दिनांक: 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफसी (Pt 2) दिनांक: 18.09.2003, 5-2/2006-एफसी दिनांक: 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफसी दिनांक: 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.702 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार एनपीवी के रूप में एजेंसी द्वारा 4.702 हे० @438000.00 प्रति हे० की दर से 10 गुना रु० 20594760.00/- की धनराशि जमा कर दी गयी है।
5(b)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो अंतिम रूप देने के बाद डे हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो अंतिम रूप देने के बाद डे हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा, शपथपत्र सलंग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 183 trees एंड 22 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यविक्षण में काटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	पेड़ो के कटाई को न्यूनतम किया गया है जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 205 थी। पेड़ राज्य वन विभाग के निर्देश में काटे जाएंगे एवं विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है।
7	परियाजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा किये जाएंगे।	परियाजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा की जा चुकी है।
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविशि नहीं की जाएगी।	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविशि नहीं की जाएगी।

Project Manager
PIU, Dugadda
NPCC Limited

	...फआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया गया है (also uploaded online in Part I point K)।
10	प्रयोक्ता अभिकरण IRC मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण IRC मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा (प्रति सलंग्न)।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14	वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लड़की, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लड़की, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
16	सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिल्लर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिल्लर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सिओ, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सिओ, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वद्दृष्टिट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वद्दृष्टिट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी (शपथ पत्र सलंग्न)।
23	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुक्षेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुक्षेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

• कार्य का नाम–जनपद–पौडी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नौड़खाल माला से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 4.702 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

शपथपत्र संख्या – 3(ক)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नौडखाल माला से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 4.702 है0 के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 9.404 है0 चकराता वन प्रभाग, कालसी के अन्तर्गत रिखनाड रेंज के कुडोग–22 में अवनत चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त पाई गई है।

R.a Ritchhal

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

jogindr

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

अधिशासी अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा ,जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Ref. No. : 447/PMGSY/2020/ Date :

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल माला से कोटा प्रस्ताव संख्या
(FP/UK/ROAD/41674/2019)
शपथपत्र शर्त संख्या 5(ख)

शर्त संख्या 5(ख) के अनुपालन विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, प्रोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को जमा करा जाएगा

अधिशासी अभियंता
पी०आई०यू० दुगड्डा

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works , Near Rasta cafe Vill.aamsaur , P.O.: Dugadda
Distt. PauriGarhwal Email: npccdugadda@gmail.com
ZonalOffice :98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: npccnwz@gmail.com
Tel. No. 0135- 2675725

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अधिशासी अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा ,जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Ref. No. : 447/PMGSY/2020/ Date :

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल माला से कोटा प्रस्ताव संख्या
(FP/UK/ROAD/41674/2019)

शपथपत्र शर्त संख्या 10

<u>मार्ग के दोनों ओर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वाहन किए जाने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के दोनों और पथ वृक्षारोपण में जो भी व्याय होगा उसे प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा

jogindar

अधिशासी अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई. दुगड्डा

joginder

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works , Near Rasta cafe Vill.aamsaur , P.O.: Dugadda
Distt. PauriGarhwal Email: npccdugadda@gmail.com
ZonalOffice :98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: npccnwz@gmail.com
Tel. No. 0135- 2675725

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

एन पी सी सी
NPCC

अधिशासी अभियंता

पी०आई०यु० दुगड्डा ,जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Ref. No. : 447/PMGSY/2020/ Date :

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल माला से कोटा प्रस्ताव संख्या
(FP/UK/ROAD/41674/2019)

शपथपत्र शर्त संख्या 22

शर्त संख्या 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण पूर्वनिदष्ट स्थलों पर इस प्रकार का मलबे का निस्तारण करेगा कि आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यविक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्तर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यत स्थान रखने हेतु दिवार बनाई जाएगी निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थानिक करण स्थिति करण स्थिति करण एवं एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समय वृद्ध तरीके से पूर्व किए जाएंगे मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी| प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा

jogindar

अधिशासी अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई. दुगड्डा

joginder

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works , Near Rasta cafe Vill.aamsaur , P.O.: Dugadda
Distt. PauriGarhwal Email: npccdugadda@gmail.com
ZonalOffice :98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: npccnwz@gmail.com
Tel. No. 0135- 2675725

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/41674/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/41674/2019) [illegible] motor road stage I under PMGSY 12.05 KM	ROAD416742019439	[illegible]41674[illegible]	25 Feb 2021	CA: [illegible]/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2054760/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2[illegible]/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Mar 2021 Transaction Date : 25 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/[illegible].pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD416742019439)

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PMGSY DUGADDA
Application No.	6141674439
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PIU DUGADDA , NPCC PMGSY ,VILL. KUNAU, PO GANGA BOGPUR, YAMKESHWARPauri Garhwal
Amount(in Rs)	23765638/-

Amount in Words :Two Crore Thirty-Seven Lakh Sixty-Five Thousand Six Hundred and Thirty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PMGSY DUGADDA
Application No.	6141674439
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PIU DUGADDA , NPCC PMGSY ,VILL. KUNAU, PO GANGA BOGPUR, YAMKESHWAR Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	23765638/-

Amount in Words :Two Crore Thirty-Seven Lakh Sixty-Five Thousand Six Hundred and Thirty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रांक्कलन

डी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नौड़खाल माला से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु (4.702 है0) वनभूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष रिखनाड़ रैंज अन्तर्गत कुडोग–22 में 9.404 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन। (2000 पौध प्रति है0), रिखनाड़ राजि, चकराता वन प्रभाग, कालसी

G.P.S. 30° 46' 32.95" N 78° 2' 12.19" E, Height 1479 mtr

प्रथम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे व सीमांकन	प्र0है0	181.00	9.404	1702.12
2	क्षेत्र में सामान्य झाड़ी कटान	प्र0है0	5436.00	9.404	51120.14
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेंसिंग)	प्र0घ0मी0	435.00	888	386280.00
4	निरीक्षण पटिया बनाना	प्र0है0	1095.00	9.404	10297.38
5	कन्टूर फरो का कार्य	प्र0र0म0	11.90	2823	33593.70
6	गड्ढा खुदान कार्य	प्र0गड्ढा	11.42	18808	214787.36
7	पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्र0 पौध	9.75	20689	201717.75
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र–संयत्र आदि तेज करना	ल0सं0			10000.00
9	भूमि सरक्षण कार्य	प्र0 है0	10000.00	9	90000.00
	योग–			योग–	999498.46

द्वितीय वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरान	प्र0गड्ढा	2.04	18808	38368.32
2	कन्टूर फर एवं बीज बुआई	प्र0र0मी0	3.70	2823	10445.10
3	पौध का रख–रखाव	प्र0पौ0	1.89	18808	35547.12
4	पौध ढुलान कार्य मय 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ 75 प्रतिशत बैग पौध				
	सिरयोझ नंगी जड (10 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	18.00	4700	8460.00
	खच्चरों द्वारा बैग पौध ढुलान (21 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	109.00	15989	313704.18
	श्रमिकों द्वारा बैग पौध ढुलान (05 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	226.00	15989	180675.70
5	नर्सरी से वनीकरण क्षेत्र तक ट्रक द्वारा ढुलान करना।				
	नंगी जड (15 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	13.00	4700	9165.00
	बैग पौध ढुलान (15 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	201.00	15989	482068.35
6	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	प्र0पौ0	3.84	18808	72222.72
7	निराई गुडाई (दो बार)	प्र0पौ0	3.52	18808	66204.16
8	खाद दवा पर व्यय	प्र0पौ0प्र0सै0	34.50	18808	6488.76
9	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0/9 माह	858.40	9.404	72651.54
10	अन्य व्यय साईन बार्ड आदि	प्र0है0	1700.00	9.404	15986.80
11	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	684.00	9.404	6432.34
	योग–			योग–	1318420.09

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुड़ाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

चतुर्थ वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुड़ाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

पंचम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुड़ाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

षष्टम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुड़ाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

सप्तम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुड़ाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

नवम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67

दशम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	884.00	9.404	8313.14
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	153.00	9.404	1438.81
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	858.40	9.404	96868.72
	योग–			योग–	106620.67
	सम्पूर्ण योग				3170883.92
	या				3170878.00

या 3170878/-

R.O

रिखनाड़ रेन्ज

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(3)

<u>प्रमाण पत्र</u>

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी.एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला किमी0 07 से कोटा मोटर मार्ग (ल0 12.050 किमी0) के नवनिर्माण हेतु 4.702 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी अवनत वन भूमि कुडोग क0सं0 22, रिखनाड़ रेंज में 9.404 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि रिखनाड़ रेंज के अन्तर्गत कुडोग क0सं0 22 में 9.404 है0 अवनत भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व में कोई भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(वन क्षेत्राधिकारी)
रिखनाड़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

Project Manager
PIU: Dugadda
NPCC Limited

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner